<u>मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग</u>

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक 311/002/2020 भोपाल, दिनांक : 13|01|2021

<u>परिपत्र</u>

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल के परिपत्र दिनांक 19.11.2020 द्वारा जिला उपभोक्ता आयोगों में सीमित मात्रा में प्रकरणों में वैयक्तिक (Physical) रूप में सुनवाई/कार्यवाही का कार्य <u>दिनांक 23.11.2020 से प्रतिदिन प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ</u> किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे, जो अभी 23.01.2021 तक प्रभावशील है।

अब मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अन्तर्गत **<u>दिनांक 18.01.2021 से</u>** जिला उपभोक्ता आयोगों में प्रभावशील उक्त प्रायोगिक व्यवस्था को समाप्त किया जाकर, सामान्य दिनों की तरह **<u>नियमित रूप से प्रकरणों में वैयक्तिक (Physical) रूप में सुनवाई/कार्यवाही</u>** प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1) जिला उपभोक्ता आयोग में नियमित सुनवाई / कार्यवाही की जाएगी। पक्षकारों, अधिवक्ताओं की उपस्थिति संबंधित प्रकरण की आदेश पत्रिका में दर्ज की जाएगी। सुरक्षा कारणों से आगामी आदेश तक पक्षकारों, अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर प्रकरण की नस्ती पर नहीं कराये जायेंगे।

2) अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण, पक्षकारगण, अधिवक्तागण तथा कर्मचारीगण द्वारा आते और जाते समय सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय परिसर और न्यायालय कक्ष में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए पक्षकारों और अधिवक्ताओं के सीमित संख्या में प्रवेश / उपस्थिति के संबंध आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

3) जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी, पक्षकार तथा अधिवक्तागण, जो क्वारंटाईन/आइसोलेट हों, के लिये जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

4) जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय परिसर में मद्यपान, धूम्रपान, गुटखा, तम्बाखू और पान आदि जैसे खाद्य और पेय पदार्थों का उपयोग तथा इधर-उधर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन कार्यवाहियों में संलिप्त पाया जाता है तो वह भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रभावशील विधि/दिशा निर्देश के अनुसार अभियोग/दण्ड के लिये दायी होगा।

5) जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, पक्षकार, अधिवक्ता और कर्मचारीगण फेस मास्क अथवा फेस कवर के बिना जिला उपभोक्ता आयोग के कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा समुचित व्यवस्था निर्धारित की जाएगी।

6) कार्यालय में प्रवेश के लिये एक ही प्रवेश द्वार का प्रयोग किया जाएगा, शेष द्वार बन्द रखे जायेंगे और भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति (अधिकारी, कर्मचारी, पक्षकार, अधिवक्ता) की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

7) किसी व्यक्ति को बुखार, फ्लू अथवा अन्य ऐसे कोई लक्षण यथा सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गंधहीनता, स्वादहीनता आदि होने की स्थिति में जिला उपभोक्ता आयोग में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी कर्मचारी को बुखार/फ्लू के लक्षण दर्शित हों तो तत्काल जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष को अवगत कराया जायेगा।

8) किसी अधिवक्ता को बुखार/फ्लू के लक्षण दर्शित हों तो तत्काल जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सहित संबंधित अधिवक्ता संघ को अवगत कराया जायेगा।

9) जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय परिसर का विधिवत सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य प्रवेश द्वार पर हाथ धोने और हेण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना हाथ धोऐ अथवा बिना हेण्ड सेनेटाइज किये परिसर में प्रवेश न कर सके।

10) यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय परिसर और न्यायालय कक्ष में सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन अधिकारी, कर्मचारी, पक्षकार और अधिवक्तागण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

11) न्यायालय कक्ष में वही अधिवक्ता और पक्षकार प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें प्रकरण में बुलाया जावेगा, शेष पक्षकार और अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष के बाहर अपने प्रकरण की बारी की प्रतीक्षा करेंगे।

12) पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सुविधा और जानकारी के लिये सुनवाई के दिन नियत प्रकरणों की सूची न्यायालय कक्ष के बाहर रखी जावेगी।

13) पक्षकारगण तथा अधिवक्तागण स्वयं की प्रकरण फाईल लायेंगे और सुनवाई के पश्चात न्यायालय कक्ष से बाहर चले जायेंगे।

14) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रतिदिन परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

16) उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के अनुक्रम में सम्बद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में भी सुनवाई / कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

(राजीव म. आपटे)
रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 311/002/2020

भोपाल, दिनांक :

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

1. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मध्यप्रदेश।
2. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर।
3. अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिवक्ता संघ, भोपाल
4. समस्त अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, मध्यप्रदेश

(राजीव म. आपटे)
रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
आयोग, भोपाल